1. श्री रमेश कुमार पुत्र किशनलाल जाति मेघवाल निवासी कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. दडकी देवी पत्नी किशनलाल जाति मेघवाल निवासी कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. जगदीश प्रसाद पुत्र सोनाराम उर्फ सोहनलाल कौम बलाई मेघवाल निवासी कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

1. महेश कुमार पुत्र भागीरथ
2. किशोर कुमार पुत्र भागीरथ
3. सुखी देवी पत्नी हरिराम
4. नरोतमलाल पुत्र हरिराम
5. बिरजूराम
6. सुरेश कुमार
7. विधाधर पुत्रान श्योपाल कौम बलाई मेघवंशी निवासीगण ग्राम कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
8. तारामीण पुत्र श्योपाल पत्नी मूलचन्द कौम बलाई मेघवाल निवासी डूमरा तहसील नवलगढ।
9. लक्ष्मी पुत्री श्योपाल पत्नी रामनिवास कौम बलाई मेघवंशी निवासी ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ़।
10. देवाराम पुत्र घीसाराम कौम बलाई मेघवंशी निवासी ग्राम कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
11. तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य
वकील प्रति॰ :– श्री महेश कुमार नारनोलिया

दावा बाबत विभाजन

:: निर्णय ::

दिनांक– 24.12.2019

वादीगण द्वार वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण स्व0 सोनाराम उर्फ सोहनलाल एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 10 स्व0 घीसाराम के वारिसान है स्व0 घीसाराम एवं स्व0 सोनाराम दोनो सगे भाई थे जिनके परिवार की वंशावली के अनुसार सोनाराम उर्फ सोहनलाल (फौत) के दो पुत्र किशन लाल (इनका नाम कामडिया गलत दर्ज है) तथा जगदीश प्रसाद (इनका नाम धूलीया नाम गलत दर्ज है) किशनलाल के रमेश कुमार जिसका नाम टीटूराम नाम गलत दर्ज है तथा दडकी देवी हुये। घीसाराम के भागीरथ हरिराम श्योपाल व देवाराम

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

हुये। भागीरथ (फौत) के प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हुये। हरिराम (फौत) के प्रतिवादीगण नम्बर 3 व 4 तथा श्योपाल (फौत) के प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 9 हुये भूमि खसरा नम्बर पुराने 270 रकबा 1 बीघा 10 बीश्वा, खसरा नम्बर 271 रकबा 5 बीघा 10 बीश्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 273 रकबा 6 बीघा 17 बिश्वा कुल किता 4 कुल रकबा तादादी 22 बीघा 17 बीश्वा पुख्ता ग्राम कारी तहसील नवलगए की सरहद में स्थित है जिसका खाता पहले घीसा पुत्र रामू हिस्सा 1/2 एवं कामड़िया, धूलिया पुत्र सोना हिस्सा 1/2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा था इस भूमि के नये खसरा नम्बर 246 रकबा 1.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 2.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 1789/249 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1790/248 रकबा 0.10 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1791/250 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा तादादी 5.79 हेक्टर कायम किये गये है जिसे आगे सुविधि के लिये इस वाद पत्र मे विवादित भूमि के नाम से जाना जावेगा। विवादित भूमि मोके पर अलग–अलग बंटी हुयी है जिसके कब्जे काश्त का उभय पक्ष में कोई विवाद नही है पहले जागीरदारी प्रथा के तहत जागीरदार व गांव का चौधरी समाज में फेले जातिये भेदभाव के कारण चमार जाति के लोगो को अपनी मर्जी मुताबिक छोटे नामो से पुकारते थे तथा उन्ही के बताये अनुसार जमीन का रिकार्ड भी कायम होता था। बाद में शिक्षा के प्रसार के कारण एवं सरकारी सहयोग के कारण जागरूकता बढी एवं चमार, बलाई, अनुसुचित जाति के लोगो में अपने अधिकारो के प्रति जागरूकता आयी तथा गलत (ओछा) नाम उन्हे अखरने लगा। इसी गलत नाम की दुरूस्ती के लिये ही यह दावा अन्य अनुतोषो के साथ प्रस्तुत किया गया है। वादी नम्बर 1 के पिता एवं वादिया नम्बर 2 के पति का सही नाम किशनलाल था लेकिन वे शरीर से दुबले पुतले थे, गरीब थे इसलिये उन्हे लोग कामडिया भी कहते थे वादी संख्या 1 बी.ए. द्वितीय वर्ष में पढ रहा है उसको पिता का नाम राशनकार्ड स्कूल रिकार्ड वोटर लिस्ट वगैरह में श्री किशनलाल लिखा हुआ है जो सही है जबकि राजस्व रिकार्ड में उनका कामड़िया नाम गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त करके वादी नम्बर 1 के पिता एव वादिनी नम्बर 2 क पति का नाम राजस्व रिकार्ड में कामड़िया के स्थान पर श्री किशनलाल दर्ज करना न्यायहित में आवश्यक है इसके अलावा वादी नम्बर 1 का नाम जमाबन्दी में टीटूराम दर्ज है जिसके स्थान पर रमेश कुमार दर्ज होना आवश्यक है वादी नम्बर 1 अपने पिता श्री किशनलाल एवं माता श्रीमती दड़की देवी की इकलौती संता नही है। ये गलत एव ओछे नाम रिकार्ड में कायम रहने से वादीगण की भावनाओं को भी ठेस लगती है क्योकि ये गलत ओछे नाम जागीरदारी प्रथा के वक्त की समाज की स्थिति दर्शाते है।

इसी प्रकार वादी नम्बर 3 का सही नाम जगदीश प्रसाद है जबकि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में धूलीया दर्ज कर रखा है जो गलत है जिसे दुरूस्त कर धूलीया के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र सोनाराम उर्फ सोहनलाल दर्ज करना न्यायहित में आवश्यक है ताकि राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज हो सके। वादी नम्बर 3 का नाम राशनकार्ड, वोटरलिस्ट में जगदीश प्रसाद ही दर्ज है। स्वर्गीय श्री सोनाराम के दो ही पुत्र थे जो किशनलाल एव जगदीश प्रसाद है जिनमें किशनलाल का स्वगेवास सन् 1984 मे हो गया है। उपरोक्त गलत रिकार्ड कायम रहने से वादीगण की भावना को ठेस लगती है तथा वादीगण को जमीन का राजस्व रिकार्ड वादीगण के अन्य रिकार्ड के समतुल्य रखने/बनाने के लिये भी यह दुरूस्ती जरूरी है। वादीगण ने तहसील नवलगढ के एक स्टाम्प वेण्डर से गलत नामो की दुरूस्ती के लिये कहा तो उन्होने गलत राजस्व रिकार्ड की

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

दुरुस्ती नही करवाकर वादीया नम्बर 2 क नाम से दर्ज 1/8 हिस्से की भूमि का बेचान वादी नम्बर 1 एवं वादी नम्बर 3 के नाम से करवा दिया जिसका नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है इस समस्त रेकार्ड की नकल जब हमारे वकील को दिखाई तो उन्होने इस गलती के बारे में जानकारी दी इस प्रकार वादीगण जो कि अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति है का तरह–तरह से शोषण ही हो रहा है यह गलत रेकार्ड उक्त बिचौती पत्र से बन बया उसे वादीगण पुनः विधि संगत तरीके से दुरुस्त करवा लेगे। वादीगण एव प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 10 में आपस में खेती की जमीन को लेकर कही कोई मनमुटाव नही है वे अपने अपने हक की भूमि पर काबिज है एवं सदैव अपने जायज हक पर ही कायम रहेगे। वादीगण ने अपनी विवादित जमीन मोके पर अलग–अलग बांट रखी है लेकिन उसका खाता शामलाती है जिसके चलते वादीगण अपनी भूमि का अच्छी तरह से विकास नही कर सकते है इस कारण इस जमीन का खाता विभाजन करना भी आवश्यक है। इस विवादित भूमि में वादीया नम्बर 2 ने अपने हिस्सा 1/8 की भूमि का ट्रांसफर बहिस्सा बराकर में वादी नम्बर 1 एवं वादी नम्बर 3 को ट्रांसफर कर दी है जिस कारण अब विवादित भूमि में वादीया नपम्बर 2 को कोई हिस्सा शेष नही रहा है इस प्रकार अब विवादित भूमि में 1/8 हिस्सा वादी नम्बर 1 स्वयं का व 1/6 हिस्सा अपनी माता से खरीदा हुआ, इस प्रकार वादी नम्बर 1 की 1/8 + 1/16 = 3/16 हिस्सा है यानि 1.0856 हैक्टर भूमि है इसी प्रकार वादी नम्बर 3 का 1/4 हिस्सा स्वयं का व 1/16 हिस्सा श्रीमती दड़की देवी से खरीदा वह इस प्रकार उसके पास कुल 1/4 + 1/16 = 5/16 हिस्सा यानि 1.80975 हैक्टर भूमि विवादित भूमि मे रही। इस प्रकार वादी नम्बर 1 की 1.085625 हैक्टर व वादी नम्बर 3 की 1.80975 हैक्टर यानि कुल 2.89 हैक्टर भूमि वादी नम्बर 1 एवं 3 की है जो कुल रकबा 5.79 हैक्टर का 1/2 हिस्सा है। मोके पर आपसी भाई बंटवारा के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 1.77 हैक्टर सम्पूर्ण एवं भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 1.74 हैक्टर में उतर की तरफ की(2.89-1.77) = 1.12 हैक्टर भूमि वादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 3 के कब्जे काश्त मे है इस प्रकार 1.77 + 1.12 = 2.89 भूमि वादीगण नम्बर 1 एव 3 के कब्जे काश्त में है जिसका खाता विभजान कर खसरानम्बर 246 रकबा 1.77 हैक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 248 के दो नम्बर कायम कर खसरा नम्बर 248/1 (उतर की तरफ वाला) रकबा 1.12 हैक्टर का खाता (1.77 +1.12 = 2.89 हैक्टर भूमि का खाता) वादी नम्बर 1 एव 3 के नाम से कायम किया जावे जिसमें वादी नम्बर 1 का हिस्ससा 1.0856 हैक्टर एवं वादी नम्बर 3 का हिस्सा 1.8097 हैक्टर दर्ज किया जावें। इसी प्रार प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 10 के नाम शेष रही भूमि खसरानम्बर 247 रकबा 2.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 1.74 हैक्टर का दक्षिणी भाग खसरा नम्बर 28/2 रकबा 0.62 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1789/249 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1790/248 रकबा 0.10 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1791/250 रकबा 0.05 हैक्टर कुल रकबा तादादी 2.90 हैक्टर का खाता अलग से कायम किया जावे। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 10 उपरोक्त दर्शित अनुसार खसरा नम्बरान एवं रकबे की भूमि पर ही काबिज है काश्त कर रहे है। दावा वास्ते विभाजन को होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 11 को फरीक बनाया गया है। बिनाए मुखासमत दावा हाजा वास्ते घोषणार्थ व विभाजन सह खातेदारों को हमेशा अर्जित रहता है। विवादित भूमि एवं उभयपक्षकारान निवास स्थान तथा कार्यालय अदालत हाजा कि अधिकार क्षैत्र में स्थित होने के कारण श्रीमान को यह दावा सुनने का पूर्ण अधिकार है। दावा अन्दर मियाद न्यायालय शुल्क पर पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वादी नम्बर 1 व 3 भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 1.77 हैक्टर सम्पूर्ण एवं भूमि खसरा नम्बर 248 का उतरी हिस्सा 248/1 रकबा 1.12 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा तादादी 2.89 हैक्टर के खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी नम्बर 1 की भूमि 1.0856 हैक्टर एवं वादी नम्बर 3 की भूमि का रकबा 1.80975 है तथा शेष रही भूमि खसरा नम्बर 247 रकबा 2.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 248 का दक्षिणी भाग 248/2 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1789/249 रकबा 0.10 हेक्टर, खसर नम्बर 1790/248 रकबा 0.10 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1791/250 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा तादादी 2.90 हेक्टर स्थित सरहद ग्राम कारी तहसील नवलगढ के प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त अनुसार रिकार्ड दुरूस्ती के लिए प्रतिवादी नम्बर 11 को आदेशित किया जावे।

उपरोक्त हक अनुसार भूमि का खाता विभाजन कर अलग–अलग खाता जिसमें वादी नम्बर 1 एव 3 का शामिल में एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 10 का एक साथ शामिल में दो जगह किया जने के लिये प्रतिवादी नम्बर 11 को आदेशित किाय जावे। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो एवं वादीगण के हक में हो वह भी सादर स्वीकृत की जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नम्बर 10 की ओर से वकील श्री महेश कुमार नारनोलिया उपस्थित हो वकालतनामा मय जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 व 11 की सम्यक तामिल होने के उपरान्त इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 10 ने जवाब दावा पेश किया कि वाद पत्र की धारा 1 व 2 स्वीकार है। वाद पत्र की धारा 3 विवादित भूमि काश्त की सुविधि के अनुसार अलग–अलग बंटी हुई लेकिन जवाबदेहन्दा को बूरी से बूरी यानि टीबा की जामनी मिली है। कानूननी सिद्धान्त के अनुसार विधिवत बंटवारो के अनुसार अच्छी मे से अच्छी एवं बूरी में से बेरी का विधिवत बंटवारा किया जाता है तो जवाबदेहन्दा को कोई आपति व ऐतराज नही है। इस प्रकार वाद पत्र में वर्णित भूमि का अच्दी मे से एवं बूरी मे से बूरी का बंटवारा किया जावे। भूमि खसरा नम्बर 246/1.77, 247/2.03, 248/1.74, 1789/249/0.10, 1790/248/0.10, 1791/250/0.05 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 5.79 हैक्टर है जिसमें जवाबदेहन्दा का 1/8 हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में काश्त की सुविधा हेतु बंटवारा कर रखा है, जवाबदेहन्दा को बूरी मे से बूरी जमीन टीबडे टीबा हिस्से मे दे रखे है इसलिए आपस में खेती की जमीन को लेकर मनमुटाव है। वाद पत्र की धारा 8 अस्वीकार है यह सही है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि का खाता शामलाती है। वाद पत्र में दर्ज मद संख्या 9 साबित करने का भार वादीगण पर है। वाद पत्र में वर्णित भूमि कुल भूमि रकबा 5.79 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा वादीगण एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 का है। वाद पत्र में वर्णित भूमि कानूनी सिद्धान्त के अनुसार बंटवारा यानि अच्छी मे से अच्छी व बूरी मे से बूरी का विधिवत बंटवारा किया जाता है तो जवाबदेहन्दा को कोई आपति व ऐतराज नही है।

प्रतिवादी नम्बर 10 की ओर से जवाब दावा पेश कर अनुतोष चाहा है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि में स्थित जवाबदेहन्दा के हिस्से 1/8 का कानूनी बंटवारो के सिद्धान्त यानि अच्छी मे से अच्छी तथा बूरी मे से बूरी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

के आधार पर बंटवारा किया जाता है तो जवाबदेहन्दा को कोई आपति व ऐतराज नही है। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। श०वादी में वादी जगदीश प्रसाद पुत्र श्री सोनाराम उर्फ सोहनलाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासी कारी एवं वादी रमेश कुमार पुत्र श्री किशनलाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासी कारी के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये। श०वादी में वादी जगदीश व रमेश के बयान लेखबद्ध किये गये। तनीयात निम्न प्रकार से कायम की गई :-

1. आया कामडिया पुत्र सोनाराम व किशनलाल पुत्र सोनाराम दोनो नामों का एक ही व्यक्ति वादी नम्बर 1 का पिता है।

भा.स.वादी

2. आया धुलिया पुत्र सोनाराम व जगदीश प्रसाद पुत्र सोनाराम दोनो नामों का एक ही व्यक्ति वादी नम्बर 3 ही है।

भा.स.वादी

3. आया वादी नम्बर 1 व 3 खसरा नम्बर 246 रकबा 1.77 हैक्टर व खसरा नम्बर 248 रकबा 1.74 हैक्टर के उतरी तरफ के 1.12 हेक्टर पर काबिज है, जिसका खाता अलग से कायम करवाने के अधिकारी है।

वादी

4. अनुतोष

वादी

तनकीयात जारी होने पर दोनो पक्षों द्वारा तहसीलदार नवलगढ़ से मौका रिपोर्ट चाही जाने का निवेदन करने पर तहसीलदार नवलगढ से वाद पत्र के अंकित तथ्यों के संबंध में मौका रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि ग्राम कारी की भूमि खरानम्बर 246, 247, 248, 1789/249, 1790/248, 1791/250 की खातेदारी महेश कुमार किशोरकुमार पिता भागीरथ सुखीदेवी पत्नी हरिराम नरोतमलाल पिता हरिराम हिस्सा 1/4 बिरजूराम सुरेश कुमार विधाधर पिता श्योपालराम तारामणी लक्ष्मी पुत्रियां श्योपालराम 1/8 देवाराम पुत्र घीसाराम 1/8 जगदीश पुत्र सोहनलाल रमेश कुमार किशनलाल 1/8 टीटूराम पुत्र कामड़िया 1/8 धूलिया पुत्र सोना 1/4 कौम मेघवंशी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। जांच करने पर टीटूराम पुत्र कामडिया का सही नाम रमेश कुमार पुत्र किशनलाल है, जिसके नाम से राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जल उपभोग विपत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता स्लिप मे सही नाम है। धूलिया पुत्र सोना का सही नाम जगदीश प्रसाद पुत्र सोहनलाल है, जिसके नाम से भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, गैस सिलेण्डर पासबुक मे सही नाम जगदीश प्रसाद पुत्र सोहनलाल है तथा कामडिया का सही नाम किशनलाल है। साथ ही मौका व रिकार्ड की स्थिति प्रस्तुत कर वर्णित किया गया है कि :-

1. भूमि खसरा नम्बर 246/1.77, 248/1.12 किता 2 कुल रकबा 2.89 हैक्टर पर रमेश कुमार पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/2 जगदीश प्रसाद पुत्र सोहनलाल 1/2 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार राहिन रमेश कुमार व जगदीश प्रसाद हि0 राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा नवलगढ़ मूर्तहीन।
2. भूमि खसरा नम्बर 247/2.03, 248/1/0.62, 1789/249/0.10, 1790/248/0.10, 1791/250/0.05 कुल किता 5 कुल रकबा 2.90 हैक्टर पर महेश कुमार किशोर कुमार पिता भागीरथमल हिस्सा 1/4 सुखीदेवी पत्नी स्व0 हरीराम नरोतमलाल पुत्र हरीराम हिस्सा 1/4 बिरजूराम सुरेश कुमार विधाधर पिता

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

श्योपालराम तारामणी लक्ष्मी पुत्रियां श्योपालराम 1/4 देवाराम पुत्र घीसाराम 1/4 जाति मेघवाल सा.देह का हिस्सा राहिन बी.आर.के.जे.बी.जाखल मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है।

तहसीलदार नवलगढ से मोका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील पक्षकारान द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री करने में सहमति जाहिर की गई। अतः बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबंदी ग्राम कारी सम्वत 2064 से 2067 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 246/1.77, 247/2.03, 248/1/0.62, 1789/249/0.10, 1790/248/0.10, 1791/250/0.05, कुल किता 6 कुल रकबा 5.79 हैक्टर की खतोदारी महेश कुमार किशोर कुमार पिता भागीरथ सुखीदेवी पत्नी स्व0 हरिराम नरोतमलाल बाबूलाल पिता हरिराम हिस्सा 1/4 ब.हिब. श्योपाल देवाराम पिता घीसा हिस्सा 1/4 दड़की पत्नी स्व0 कामडिया टीटूराम वल्द कामडिया 1/4 धूलिया पुत्र सोना हिस्सा 1/4 कौम मेघवंशी सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया यथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र में रमेशकुमार पुत्र किशनलाल जाति मेघवाल दर्ज किया गया है तथा मतदाता पहचान पत्र में रमेश कुमार पुत्र किशनाराम परिवार राशनकार्ड में दड़की पत्नी किशनलाल दर्ज किया गया है इस प्रकार मतदाता पहचान पत्र परिवार राशनकार्ड में जगदीश प्रसाद पुत्र सोनाराम दर्ज किया जाना प्रमाणित है। अतः तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादीगण का सही नाम रमेश कुमार पुत्र किशनलाल व जगदीश प्रसाद पुत्र सोनाराम सही होना प्रमाणित है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार वाद न्यायोचित होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ स्वीकार किया जाता है। मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। भूमि खसरा नम्बर 246/1.77, 247/2.03, 248/1/0.62, 1789/249/0.10, 1790/248/0.10, 1791/250/0.0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.79 हैक्टर में टीटूराम पुत्र कामडिया के स्थान पर रमेश कुमार पुत्र किशनलाल तथा धूलिया पुत्र सोना के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र सोहनलाल दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ग्राम कारी की भूमि खसरा नम्बर 246/1.77, 248/1.12 किता 2 कुल रकबा 2.89 हैक्टर पर रमेश कुमार पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/2 जगदीश प्रसाद पुत्र सोहनलाल 1/2 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार राहिन रमेश कुमार व जगदीश प्रसाद हि0 राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा नवलगढ़ मूर्तहीन।
2. भूमि खसरा नम्बर 247/2.03, 248/1/0.62, 1789/249/0.10, 1790/248/0.10, 1791/250/0.05 कुल किता 5 कुल रकबा 2.90 हैक्टर पर महेश कुमार किशोर कुमार पिता भागीरथमल हिस्सा 1/4 सुखीदेवी पत्नी स्व0 हरीराम नरोतमलाल पुत्र हरीराम हिस्सा 1/4 बिरजूराम सुरेश कुमार विधाधर पिता श्योपालराम तारामणी लक्ष्मी पुत्रियां श्योपालराम 1/4 देवाराम पुत्र घीसाराम 1/4 जाति मेघवाल सा.देह का हिस्सा राहिन बी.आर.के.जे.बी.जाखल मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.01.24 18:05:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: